UPME010090812026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2589/2026</u>

रवि कुमार पुत्र धर्मपाल, निवासी–शंकर नगर कुण्डा, थाना–परतापुर, जनपद–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–308/2026
अं0धारा–108 बी0एन0एस0
थाना–परतापुर, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री सतेन्द्र कुमार, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–09.07.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार की ओर से मुकदमा अपराध सं0–308/2026, अं0धारा–108 बी0एन0एस0, थाना–परतापुर, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादिनी की पुत्री का विवाह प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार से 9 साल पहले आर्य समाज मंदिर में हुआ था। एक वर्ष से रवि के नाजायज संबंध कोमित नाम की लड़की से हो गये थे, जिस कारण वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। रवि की पत्नी के फोन में रवि व कोमित की अश्लील तस्वीरे व संदेश भी थे। दिनांक 30.05.2026 की सुबह मकान मालिक का फोन आया कि काजल मरी पडी है। जब हम वहां गये हमने काजल को फर्श पर मरा पडा पाया। उसके गले दुपट्टे का फंदा लगा हुआ था। मकान मालिक ने बताया कि रवि रात 29.05.2026 को काजल के कमरे में था। उसने यह भी बताया कि वह वहां से कब गया पता नहीं। मकान मालिक

ने बताया रात को 02.30 बजे काजल की बच्ची के रोने की आवाज सनुकर वह नीचे कमरे में आया। उन्होंने देखा दरवाजा खुला हुआ है। काजल फंदे से मरी पडी है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रार्थी अपनी पत्नि काजल को बहुत प्यार करता था। प्रार्थी ने कभी भी अपनी पत्नि काजल के साथ कोई मारपीट नही की और न ही कभी उसे प्रताड़ित किया है।
- मृतका काजल के परिवार वाले प्रार्थी के प्रेम विवाह से खुश नही थे और मृतका काजल के प्रार्थी से शादी करने के बाद मृतका काजल के परिवार वालो ने मृतका से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। जिस कारण मृतका काजल का अपने परिवार से कोई भी सम्बन्ध नहीं था।
- करीब दो माह पूर्व प्रार्थी और मृतका काजल के बीच पैसो को लेकर मन–मुटाव हो गया था, जिस कारण मृतका काजल प्रार्थी का घर छोड़कर अपने मायके ग्राम कुण्डा आयी तो मृतका के परिवार वालो ने उसको अपने घर में घुसने से मना कर दिया और उसके बाद मृतका काजल ने घोपला रोड, रिठानी मे किराये का मकान लेकर अपने बच्चो के साथ रहने लगी।
- मृतका काजल किराये के मकान में रह रही थी तब से मृतका के आत्महत्या करने तक प्रार्थी मृतका काजल के पास नही गया था।
- प्रार्थी ने फोन द्वारा मृतका काजल को मनाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह प्रार्थी के साथ आने को तैयार नही थी। इसलिये प्रार्थी का मृतका काजल को आत्महत्या करने के लिये उकसाने का कोई प्रश्न ही नही उठता है।
- मृतका ने अपने परिवार वालो की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रार्थी के साथ प्रेम–विवाह किया था, जिस कारण मृतका काजल के परिवार वाले उससे काफी नाखुश थे, जिस कारण उसने अपने घरवालो से नाराज होकर यह आत्मघाती कदम उठाया था।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। उसके विरूद्ध अपनी ही पत्नी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किये जाने के आरोप हैं।

9. मृतका की शव–विच्छेदन आख्या में उसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी हैं :–

Incomplete ligature mark of size 21cm x 2cm present over front & both sides of neck in oblique manner. The ligature mark 2cm below from right ear, 3cm below from mid of right jaw, 6cm below from chin, 4cm below from mid of left jaw, 5cm below from left ear, 10cm above from sternal notch, Total neck circumference is 25cm. Ligature mark extend from 2cm below right ear extends up to left part posterior surface (1/3rd area) neck. On dissection subcutaneous tissues underneath ligature mark is white glistening parchment like, fracture of cervical C2, C3. Hyoid bone & trachea found intact.**Cause of death-** Asphyxia as a result of ante mortem hanging.

10. केस डायरी में वादिया व मकान मालिक, (जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त व मृतका साथ रहते थे) के बयान का विवरण दिया गया है, जिनके द्वारा अभियोजन

कथानक का समर्थन किया गया है।

11. केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त का मृतका से प्रेम विवाह होने व प्रार्थी/अभियुक्त का किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध होने के तथ्य भी विद्यमान हैं।

12. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है। मृतका की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों उस मकान में हुई है, जिसमें मृतका व प्रार्थी/अभियुक्त साथ–साथ रहते थे।

13. यह प्रकरण धारा–108 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज किया गया है, जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण से सम्बन्धित है तथा केस डायरी में अंकित वादी एवं साक्षियों के बयान में मृतका द्वारा प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या किये जाने का कथानक है।

14. प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है।

15. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप में अधिकतम दण्ड 10 वर्ष का प्रावधानित है। मामला गंभीर प्रकृति का है।

16. अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई न्यायोचित एवं न्यायसंगत आधार प्रकट नहीं होते हैं। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 09.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)

Digitally signed by ARVIND KUMAR MISHRA
Date: 2026.07.10 19:40:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court